

1985-ADT-1  
19/8/16

Post Secretary  
4134T  
19/8/16

18/8/16

DST-1 (02)  
T-4

प्रेषक

निदेशक,  
अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग,  
कल्याण विभाग हरियाणा

सेवा में

1. महानिदेशक,  
तकनीकी शिक्षा विभाग  
हरियाणा, पंचकूला ।
2. महानिदेशक,  
उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा,  
शिक्षा सदन, सैक्टर-5 पंचकूला ।
3. महानिदेशक,  
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,  
सैक्टर-17, चण्डीगढ़ ।
4. निदेशक,  
सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा,  
शिक्षा सदन, सैक्टर-5 पंचकूला ।
5. सभी जिला कल्याण अधिकारी,  
हरियाणा राज्य में ।

क्रमांक: शिक्षा-1/2016/21038-62  
दिनांक: 17/08/2016

विषय:- सरकारी संस्थानों में पढने वाले अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के अन्तर्गत बायोमैट्रिक हाजरी लगाने में छूट प्रदान करने बारे

उपरोक्त विषय पर इस निदेशालय के पत्र क्रमांक टी-3/2015/26254-58 दिनांक 17.12.2015 के संदर्भ में।

2. उक्त पत्र के माध्यम से आपको श्रीमति कविता जैन मंत्री महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 12.05.2015 को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की परिपालना की समीक्षा हेतु हुई बैठक की कार्यवाही की प्रति भेजते हुए तदानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था जिसके मद नं-4 अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु छात्र की उसके संस्थान में 70 प्रतिशत आधार लिंकड उपस्थिति आवश्यक थी ।

इस बारे पुनः समीक्षा की गई तथा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों जिनमें छात्रवृत्ति हेतु 10 या 10 से कम छात्र हैं उन्हें संस्थान में बायोमैट्रिक उपस्थिति की शर्त में छूट प्रदान की जाती है ।

DSS  
राजेंद्र सिंह सांगवीर,  
उप-निदेशक (प्रशि0)

कृते: निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग  
कल्याण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।

ok  
PFO



## निदेशालय, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा, चन्डीगढ़।

पृ०क० T-4/PMS/SC/2015-16/

8075

दिनांक:

6/11/16

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा के पत्र क० शिक्षा-1/2016/21038-62/ दिनांक 17.8.2016 के सन्दर्भ में।
2. संयुक्त निदेशक एवं प्रधानाचार्य, राजकीय आई०टी०ओ०टी०, रोहतक।
3. संयुक्त निदेशक (योजना)।
4. सभी प्रधानाचार्य/ वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज /वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज (महिला), राजकीय/प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) (हरियाणा राज्य में) को निर्देश दिये जाते हैं कि वर्ष 2015-16 में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग,हरियाणा के पत्र क० शिक्षा-1/2016/21038-62/ दिनांक 17.8.2016 के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
5. सभी जिला स्तर के प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपने-2 जिले में स्थित सभी राजकीय/प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग,हरियाणा के पत्र क० शिक्षा-1/2016/21038-62/ दिनांक 17.8.2016 के पत्र अनुसार कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करवाएँ।
6. उप-निदेशक (प्रशिक्षण-IV) प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उक्त पत्र अनुसार कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें।
7. नोडल अधिकारी बैवसाईट (मुख्यालय) वबैसाईट पर डालने हेतु भेजी जाती है।
8. सैन्ट्रल डी०डी०ओ०/नोडल अधिकारी, पी०एम०एस० एवं उप निदेशक (लेखा) मुख्यालय पर।

सहायक निदेशक (प्रशिक्षण-I)

कृते: निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,

हरियाणा।